न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1532/2025

(सिकंदरा थाना कांड संख्या–85/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

जितेन्द्र रजक एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

आदेश

10.03.2026 1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **जितेन्द्र रजक** उम्र करीब 30 वर्ष पिता महेन्द्र रजक साकिन टेलवा बाजार, थाना सिमुलतला, जिला जमुई की ओर से सिकंदरा थाना कांड संख्या–85/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 16(2), 115(2), 329(3), 281, 125(a)(b), 118(1), 110, 303(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0 सिंह न्यायालय में उपस्थित हुए तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया।

2. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक की ओर से दिनांक 24.09.2025 को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन इस न्यायालय को दिनांक 26.09.2025 को प्रधान सत्र न्यायाधीश, जमुई के कार्यालय से प्राप्त हुआ। संबंधित कार्यालय से मांगा गया प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त है। अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 17.07.2025 से आज तक लंबित है। जमातन आवेदन पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त के विद्वान श्री पी0एन0 सिंह अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करने के कारण खारिज करने का अनुरोध करते है।

3. जमानत आवेदन आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। अग्रिम जमातन आवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 24.09.2025 को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई के न्यायालय में पंजीकृत किया गया। स्थानांतरण के पश्चात् इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2025 को प्राप्त हुआ। अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 29.09.2025 से आज तक लंबित है। आवेदक या उनके अधिवक्ता को इस जमानत आवेदन संचालित नहीं करना चाहते है तथा इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

अतः आवेदक **जितेन्द्र रजक** का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1532/25 (सिमुलतला थाना कांड संख्या–85/2025 से उत्पन्न) को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं0.......................... दिनांक–..............................

प्रतिलिपि अग्रसारित –श्री अनिमेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम् श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई